(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **श्री आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4434-एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-12-12 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 426/अपील/2010-11.

---

1. मुस. गिरिजा देवी बेवा दधिवल सिंह बघेल
2. रामकमल सिंह तनय श्री दधिवल सिंह बघेल
3. मुस. विमला सिंह बेवा रामबहादुर सिंह
4. दीपेन्द्र सिंह तनय श्री रामबहादुर सिंह, नावालिग द्वारा संरक्षिका माता श्रीमती विमला सिंह बेवा रामबहादुर सिंह

निवासी ग्राम मवई, तहसील चुरहट, जिला सीधी म.प्र.

.....आवेदकगण

बनाम

यादवेन्द्र सिंह तनय शिवमूरत सिंह बघेल
निवासी ग्राम मवई, तहसील चुरहट, जिला सीधी म.प्र.

.....अनावेदक

श्री, एस. के अवस्थी अधिवक्ता, आवेदक
श्री, आई. पी. व्दिवेदी अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/02/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म.प्र. द्वारा पारित दिनांक 21-12-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा मु. गिरिजा देवी वो दधिवल सिंह बघेल एवं अन्य कुल 4 सभी निवासी ग्राम मबई तहसील चुरहट जिला सीधी द्वारा सहायक बन्दोवस्त अधिकारी सीधी दल क्र. 5 के परिवर्तन पंजी क्र. 48 वर्ष 1997-98 में पारित आदेश दिनांक 24-08-98 के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी,

चुरहट के समक्ष प्रस्तुत की गई । उपखण्ड अधिकारी ने आदेश दिनांक 7-12-2010 को आदेश पारित करते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अपीलाधीन भूमियों का स्वत्व के आधार पर विधिसंगत बटवारा नामांतरण करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपीलप्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 21-12-2012 को अपील स्वीकार की जाकर सहायक बंदोबस्त अधिकारी का आदेश स्थिर रखा। अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मुख्य रूप से बटवारे से संबंधित है। सहायक बंदोबस्त अधिकारी का आदेश बटवारे के बारे में स्पष्ट नहीं है। सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि दधिबल सिंह हस्ताक्षर नहीं करते थे बल्कि अंगूठा लगाते थे जबकि दस्तावेजों से यह तथ्य प्रमाणित होता है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश को अनुचित पाते हुये प्रश्नाधीन भूमियों के स्वत्व के आधार पर विधिवत बटवारा नामांतरण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित था। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटिकी है अपर आयुक्त ने बटवारे के हक, कब्जा तथा राजस्व रिकार्ड के आधार पर ध्यान न देने में त्रुटि की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश 21-12-2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष तथा हितधारी व्यक्तियों को सुनकर हक, कब्जा एवं राजस्व रिकार्ड का परीक्षण कर वैधानिक आदेश पारित करें।

4/02/2019

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर